<u>नई पेंशन योजना</u>

परिचय

1. भारत सरकार ने, एक आदर्श नियोक्ता होने के कारण हमेशा ही अपने कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध कराई हैं। इन योजनाओं ने सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात तथा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात भी उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को समुचित रूप से एक आरामदायक और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर जीवन उपलब्ध कराया है।

2. 01 जनवरी, 2004 से पूर्व **'परिभाषित लाभ पेंशन योजना'** की पेंशन योजना प्रणाली विद्यमान है, जो पेंशन के रूप में एक मासिक धनराशि तथा उपदान के रूप में एक मुश्त धनराशि कर्मचारी को उपलब्ध कराती है । इसके अंतर्गत पेंशन के एक भाग को परिवर्तित किया जा सकता है तथा सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त धनराशि के रूप में आहरित किया जा सकता है । कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार पेंशन उनके पति/पत्नी को जीवनपर्यन्त तथा पति/पत्नी की मृत्यु होने पर, बच्चों को, कुछ शर्तों के अध्यधीन, उपलब्ध होगी ।

पेंशन योजना का भार

3. **परिभाषित** पेंशन लाभ योजना के तहत, कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान अपने वेतन में से कोई नियमित अंशदान नहीं करता जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का लाभ अर्जित कर सके । ऐसी योजना सरकारी खजाने पर एक बड़े वित्तीय भार के रूप में साबित होनी ही थी जिसको कि लंबे समय तक चालू नहीं रखा जा सकता था ।

4. यह सत्य है कि लोग आजकल पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं । एक औसत 60 वर्षीय व्यक्ति, 1970 के दशक में उसके हम उम्र के मुकाबले अब दस वर्ष और अधिक जीता है। पेंशन पर इस बढ़ी हुई उम्र का प्रभाव यह हुआ कि वह उत्तरोत्तर निरंतर महंगी होती गई।

5. अतः, स्व-पोषित पेंशन योजना को लागू करना समय की मांग थी । इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के दौरान एक नियमित धनराशि का अंशदान करना अपेक्षित होगा और जिसमें सरकार द्वारा नियमित रूप से योगदान किया जाएगा, जिससे कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात एक नियमित मासिक पेंशन आय उपलब्ध कराने के लिए एक संचित निधि का निर्माण किया जा सके । पेंशन की धनराशि कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के दौरान जमा किए गए अंशदान पर निर्भर करेगी।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) को शासित करने के लिए नियम/विनियम

6. एनपीएस ढांचे को शासित करने के लिए महत्वपूर्ण नियम/विनियम इस प्रकार हैं:-

(क) पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण विनियम 2015, संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 दिनांक 11 मई, 2015;
(ख) सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 दिनांक 30 मार्च 2021
(ग) सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (इसमें नीचे दिए गए पाठ में पुरानी योजना के रूप में संदर्भित)
(घ) सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 1939

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

7. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2003 को की गई थी । सरकार ने दिनांक 10 अक्तूबर, 2003 के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से पीएफआरडीए को अनिवार्य तौर पर पेंशन क्षेत्र के लिए विनियामक के रूप में कार्य करने के आदेश दिए हैं । पीएफआरडीए का अधिदेश भारत में पेंशन क्षेत्र का विकास और विनियमन है।

एनपीएस का विस्तार

8. एनपीएस, जिसे दिनांक **01** अप्रैल, **2004** से सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, को दिनांक **01** अप्रैल, **2009** से प्रत्येक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध करा दिया गया है । जो पहले पुरानी पेंशन योजना में थे लेकिन बाद में एनपीएस के तहत जुड़ गए, वे उचित माध्यम से पुरानी योजना में बने रहे।

9. इसके अलावा, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन **1-1-2004** से पहले अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन जो **1-1-2004** को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए थे, वे भी पुरानी पेंशन योजना में बने रहेंगे।

10. एनपीएस की विशेषताएं

(क) वहनीय (पोर्टेबल) - प्रत्येक कर्मचारी की एक विशिष्ट संख्या से पहचान की जाती है और उसका एक अलग स्थायी सेवानिवृत्ति खाता होता है जो पोर्टेबल होता है यानी कर्मचारी के किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित होने पर भी वही रहेगा।

(ख) पारदर्शी - एनपीएस पारदर्शी और लागत प्रभावी प्रणाली है जिसमें पेंशन योगदान को पेंशन निधि योजनाओं में निवेश किया जाता है और कर्मचारी दिन-प्रतिदिन निवेश के मूल्य को जान सकेगा।

(ग) सरल - सभी अभिदानकर्ता को केवल अपने नोडल कार्यालय में एक खाता खोलना है और एक प्रान (PRAN) प्राप्त करना है।

(घ) विनियमित - एनपीएस को पारदर्शी निवेश मानदंडों और एनपीएस ट्रस्ट द्वारा निधि प्रबंधकों की नियमित निगरानी और प्रदर्शन समीक्षा के साथ पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है।

11. इस प्रकार, एनपीएस, अंशदायी पेंशन योजना, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और केंद्रीय स्वायत्त निकायों की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है (प्राधिकरणः एफआरः 16)। इसने 01 जनवरी, 2004 से परिभाषित लाभ पेंशन की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया। अंशदान "अभिदानकर्ता" और "नियोक्ता द्वारा और कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते (पीआरएएन) में जमा किया जाता है।

12. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एनपीएस के लिए केंद्रीय रूप से जिम्मेदार है। एक नियामक संस्था के रूप में पीएफआरडीए मुख्य रूप से पूरे एनपीएस सेट अप के कामकाज की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) है जो अन्य बातों के साथ-साथ रिकॉर्ड बनाए रखती है, अभिदाताओं को प्रान जारी करती है और नामांकन में बदलाव के अनुरोध पर विचार करती है। पीएओ से निधि एक ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया जाता है, जहां से इसे तीन पेंशन फंड मैनेजर्स (पीएफएम) को वितरित किया जाता है, जो एक निर्दिष्ट अनुपात में एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी की सहायक कंपनियां हैं। डिफॉल्ट योजना में पीएफएम निश्चित आय के साधनों में 85% और इक्विटी या इक्विटी से संबंधित उपकरणों में 15 % निवेश करते हैं। सेवानिवृत्ति के समय, जबकि मूल्य का 60% अभिदाता को वापस कर दिया जाता है, 40% अनिवार्य रूप से वार्षिकी योजना में निवेश करने की आवश्यकता होती है जो ग्राहक को मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है।

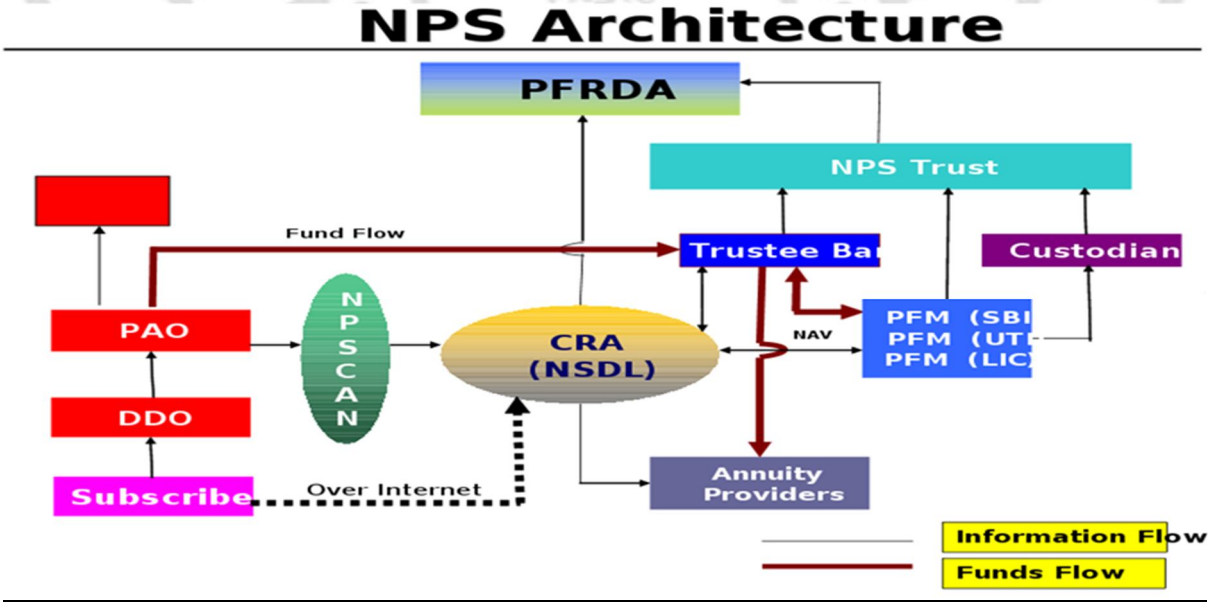

<u>दो स्तरीय प्रणाली</u>

13. योजना के अभिदाता के पास टियर-I होगा और दूसरा खाता टियर-II खोलने का विकल्प भी होगा। टियर- I (सेवानिवृत्ति/पेंशन खाता) और टियर II (बचत/निवेश खाता) दोनों ही शुद्ध सेवानिवृत्ति बचत उत्पाद हैं। टियर- I एक गैर-आहरण खाता है जबकि टियर- II वित्तीय आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक

आहरण योग्य खाता है। सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह अपने मूल वेतन (यानी लेवल वेतन) प्लस महंगाई भत्ते का **10%** का योगदान देना होगा। **01.04.2019** से सरकार द्वारा **14%** अंशदान किया जाता है। यदि कोई अभिदाता विदेश सेवा में तैनात है तो अंशदान प्रकल्पित वेतन के आधार पर किया जाना है, अर्थात वह वेतन जो उसने अर्जित किया होता यदि वह अपने मूल कार्यालय में बना/बनी रहता/रहती, हालांकि प्रतिनियुक्ति के मामले में, अंशदान प्रतिनियुक्ति वेतन पर आधारित होगी। निलंबित कर्मचारी के लिए, सदस्यता निर्वाह भत्ते पर आधारित है (यह अभिदानकर्ता के विकल्प के अनुसार है।

14. टियर-**I** योगदान (और निवेश रिटर्न) को गैर-निकासी योग्य पेंशन टियर-**I** खाते में रखा जाता है। टियर **II** से, राशि सरकारी कर्मचारी के विकल्प पर आहरित की जा सकती है जबकि सरकार टियर-**II** खाते में कोई अंशदान नहीं करेगी। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम **1** योगदान होना चाहिए और न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। निकासी की संख्या की कोई सीमा नहीं है और अलग नामांकन और योजना वरीयता के लिए सुविधा उपलब्ध है।

टियर- । से निकासी और प्रत्याहरण ।

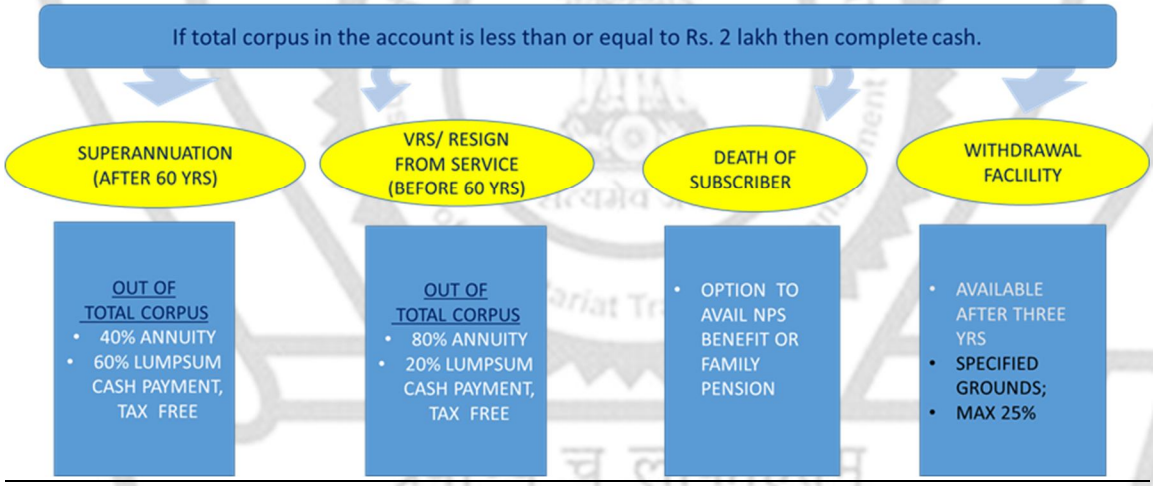

15. टियर- 1 से निकासी की शर्तें- टियर- **I** खाते से निकासी से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक हैः

क. अभिदानकर्ता कम से कम **3** वर्ष के लिए एनपीएस में होना चाहिए

ख. निकासी राशि अभिदानकर्ता द्वारा किए गए योगदान के **25%** से अधिक नहीं होगी

ग. अंशदान की पूरी अवधि के दौरान निकासी अधिकतम तीन बार हो सकती है।

घ. केवल निर्दिष्ट कारणों से निकासी की अनुमति है, उदाहरण के लिएः

(i). बच्चों की उच्च शिक्षा;
(ii). बच्चों की शादी;
(iii). आवासीय घर की खरीद/निर्माण के लिए;
(iv). गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए।

16. सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, **2021**, वैधानिक अर्थ प्रदान करता है और मृत्यु, अक्षमता, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता और निष्कासन सहित सेवा की विभिन्न आकस्मिकताओं के तहत एक अभिदाता की पात्रता को परिभाषित करता है। नए नियमों के नियम **10** के अनुसार, योजना के तहत कार्यग्रहण करने वाले प्रत्येक अभिदाता को परिवार पेंशन के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म **-1** में विकल्प देना होगा और परिवार के विवरण के लिए फॉर्म **-2** भी प्रस्तुत करना होगा। विकल्प या तो सेवानिवृत्ति लाभ के लिए होगाः

(क) एनपीएस नियमों के तहत; या

(ख) सीसीएस (पी) नियम, **1972** के तहत; और सीसीएस (ईओपी) नियम, **1939**

17. जो पहले से ही सेवा में हैं उन्हें भी इस तरह के विकल्प का प्रयोग करने के साथ-साथ परिवार का विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सेवा काल के दौरान अभिदाता द्वारा परिवार का विकल्प और विवरण बदला जा सकता है। हालांकि, उसकी मृत्यु के मामले में, परिवार को मृत्यु से पहले अभिदाता द्वारा दिए गए विकल्प को बदलने का अधिकार नहीं है। 'कोई परिवार नहीं' के मामले में, अभिदाता को विवाह/दत्तक लेने के बाद जैसे ही वह परिवार प्राप्त करता है, विवरण प्रस्तुत करना होता है।

18. एक अमान्य या सेवामुक्त अभिदाता नया विकल्प दे सकता है, हालांकि, यदि नया विकल्प नहीं दिया गया है, तो पहले से दिया गया विकल्प सक्रिय होगा। सेवा में रहते हुए किसी अभिदाता की मृत्यु के मामले में अंतिम विकल्प का प्रयोग अंतिम होता है। यदि सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाने या विकलांग या अपंग हो जाने पर विकल्प उपलब्ध नहीं है, जो विकल्प का प्रयोग करने में असमर्थ हैं और यदि मृत्यु और/या अमान्यता/डिस्चार्ज सेवा के **15** वर्ष पूरे होने से पहले या इस अधिसूचना के **3** साल के भीतर होता है (मार्च **2024** तक) तब अभिदाता को सीसीएस (पी) नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन/अमान्य पेंशन दी जाती है और विकलांग अभिदाता को सीसीएस (ईओ) पेंशन नियम, **1939** के अनुसार डिफॉल्ट विकल्प के रूप में ईओपी प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, जहां कोई विकल्प नहीं अपनाया गया था, दावों को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम, **2015** के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा, एक मृत अभिदाता के मामले में जब विकल्प का प्रयोग किया गया है, लेकिन परिवार का कोई पात्र सदस्य नहीं है तो विकल्प निष्फल हो जाता है और विकल्प को

अमान्य माना जाएगा। ऐसे मामलों में, लाभ स्वीकार्य होंगे और एनपीएस विनियम, **2015** के अनुसार अभिदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे;

19. वीआरएस/पीएमआर/इस्तीफा: सेवा के **20** वर्ष पूरे होने पर सेवानिवृत्ति के मामले में यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में और एफआर (**56)** जे के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति के मामले में, अभिदाता पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकासी और प्रत्याहरण) विनियमों, **2015** के तहत स्वीकार्यता के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र होंगे और अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रख सकते हैं या सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे एनपीएस के तहत लाभों के भुगतान को स्थगित कर सकते हैं। सरकारी सेवा से इस्तीफे के मामले में, तब, जब तक इसे जन हित में वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, उसे संचित पेंशन कोष के **20%** से अधिक का भुगतान नहीं किया जाएगा और शेष **80%** वार्षिकी खरीदने के लिए निवेश किया जाएगा।

<u>एनपीएस पर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

1. क्या सेवानिवृत्त होने वाला कोई सरकारी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात छुट्टी नकदीकरण का हकदार है?

छुट्टी वेतन के नकदीकरण पर मिलने वाला लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवानिवृत्ति लाभों का हिस्सा नहीं है। इसका भुगतान सीसीएस (छुट्टी) नियमों के अनुसार होता है और यह दिनांक 1.1.2004 को अथवा उसके पश्चात सरकारी सेवा में आए सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू रहेगा । अतः, सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी/उसके परिवार को देय छुट्टी वेतन नकदीकरण का लाभ स्वीकार्य होगा ।

2. सेवानिवृत्ति के समय (अर्थात 60 वर्ष की आयु के पश्चात) एनपीएस से वार्षिकी (एन्यूटी) का क्रय करने हेतु पेंशन धनराशि का 40 प्रतिशत का उपयोग करना क्यों अनिवार्य है?

   नई पेंशन योजना के अंतर्गत यह उपबंध इस उद्देश्य से बनाया गया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त जीवन काल के दौरान नियमित मासिक आय प्राप्त हो सके ।

3. टियर-। को छोड़ने के लिए क्या कोई न्यूनतम आयु अथवा न्यूनतम सेवा अपेक्षित है?

   टियर-। को तभी छोड़ा जा सकता है जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा को छोड़ता है। हालांकि, जैसा कि टियर-॥ पूरी तरह से वैकल्पिक है, अभिदाता (सब्सक्राइबर) यह तय कर सकता है कि इसे जारी रखना है या इसे बंद करना है। हालांकि, टियर- ॥ खाता रखने के लिए, टियर- । खाता होना अनिवार्य है।

4. क्या डीए की बकाया धनराशियों में से भी टियर-। अंशदान की कटौती की जाती है?

जी हां । चूंकि, अंशदान का परिकलन (वेतन + डीपी + डीए) का 10 प्रतिशत की दर से किया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि इन तत्वों में कोई भी परिवर्तन होने पर इसमें भी संशोधन किया जाए।

5. ब्याज का परिकलन कौन करेगा पीएओ अथवा सीपीएओ?

पीएओ को ब्याज का परिकलन करना चाहिए।

6. क्या होता है जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण महीने के दौरान कर दिया जाता है? कौन सा कार्यालय अंशदानों की कटौती करेगा?

अन्य वसूलियों के मामले में, संपूर्ण माह के लिए नई पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदानों की वसूली (दोनों व्यक्ति-विशेष और सरकार) उस कार्यालय द्वारा की जाएगी जोकि अधिकतम अवधि के लिए वेतन तैयार करता है ।

7. एन पी एस में अंशदानों का परिकलन करते समय, क्या चिकित्सा अधिकारियों को देय एनपीए की गणना 'वेतन' के रूप में की जाएगी?

जी हां । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 7.4.98 के अपने का.ज्ञा.सं.ए-45012/11/97-सीएचएस-5 के तहत यह स्पष्ट किया है कि सेवा संबंधी सभी लाभों के लिए गैर-प्रैक्टिस भत्ते की गणना 'वेतन' के रूप में की जाएगी। अतः इसकी गणना नई पेंशन योजना के तहत अंशदानों का परिकलन करने के लिए की जाएगी।

8. एक सरकारी कर्मचारी जो 1.1.2004 से पहले ही सरकारी सेवा में है, की नियुक्ति यदि भारत सरकार के तहत किसी और पद पर हो जाती है तो, क्या वह सीसीएस(पेंशन) नियम अथवा एनपीएस के द्वारा शासित होगा?

उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी ने उसी अथवा किसी अन्य विभाग में पद के लिए आवेदन किया हो तथा चयन हो जाने पर उसे तकनीकी त्यागपत्र देने को कहा गया हो, वहां भूतपूर्व सेवा की गणना सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार की जाएगी। चूंकि सरकारी कर्मचारी ने मूलतः दिनांक 1.1.2004 से पहले कार्य ग्रहण किया है, अतः उसे सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए ।

****